कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीवानी एवं सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर।

आदेश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक संख्या–2838 दिनांकित 29.06.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि संदीप कुमार उम्र–34 वर्ष, जो पेशे से अधिवक्ता है तथा जनपद न्यायालय परिसर बुलन्दशहर में कार्यरत है, इनकी कोविड–19 आर0टी0–पी0सी0आर0 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। पूर्व में कोविड–19 पॉजिटिव आये अधिवक्ता श्री शिवचरन माहुर के कार्यालय के साथ ही इनका कार्यालय है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन कर 24 घन्टे परिसर बन्द करने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–1117/स्गग्टप्प–सी0पी0सी0/ई0कोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 30.06.2020 को बुलन्दशहर जनपद न्यायालय सेनेटाईजेशन कराने व आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रहेगा तथा दिनांक 01.07.2020 को न्यायालय यथावत खुलेगें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक– 29.06.2020

(नील कंठ सहाय) 29.6.2020
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, मुख्यालय जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
3. अध्यक्ष/सचिव सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
4. केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
5. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त कर्मचारी, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
7. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।

दिनांक– 29.06.2020

(नील कंठ सहाय) 29.6.2020
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।